14.32 hrs.

MOTION RE : TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES — *contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will now resume further discussion on the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री सूरज भान (अम्बला) : उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्टस कमिश्नर की रिपोर्ट पर जो डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में मैं एक क्लरिफिकेशन चाहता हूं । मुश्किल यह है कि इस रिपोर्ट को पीसमील ढंग से डिसकस किया जा रहा है । सुना जा रहा है कि इसे अगल सेशन तक के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है । हम चाहते हैं कि इस डिस्कशन को इसी सेशन में खत्म कर दिया जाये, भल ही इसके लिये सेशन को एक दिन के लिए बढ़ा दिया जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : It will conclude in this session. (*Interruption*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Tulsiram, you have already spoken for more than 15 minutes. Try to cover as much as you can within two minutes and conclude.

श्री वी० तुलसीराम (पेद्दापल्लि) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का वह बयान पढ़ कर सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं । मगर अब उन पर कोई अत्याचार नहीं हो रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैंने खास तौर से उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर हुए अत्याचारों की घटनाओं के समाचार पढ़ कर सुनाये थे । मैं जोरदार शब्दों में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के स्टेटमेंट का खण्डन करना चाहता हूं ।

हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुए अत्याचारों, जिन में एक आदमी को मार दिया गया और बीस पच्चीस आदमियों को घायल कर दिया गया, और अन्य दो तीन स्टेट्स में हुई इस प्रकार की घटनाओं के बारे में मैंने एक कालिंग एटेन्शन नोटिस दिया था, लेकिन उसके लिए समय नहीं दिया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा केवल इस तरह के बयान देने से जनता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है । जनता को स्थिति का पूरा ज्ञान है । बेलची कांड के बारे में श्री चरण सिंह ने इस सदन में और राज्य सभा में जो अलग-अलग बयान दिये, वे रिकार्ड पर हैं । क्या सरकार इस तरह की बातों से जनता को संतुष्ट कर सकती है ? क्या जनता को सब हालात का पता नहीं है ?

मैंने कालिंग एटेन्शन नोटिस दिया था कि इस इम्पार्टेन्ट इस्यू पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी गई, जबकि माननीय सदस्य, श्री ज्योतिर्मय वसु, ने श्री संजय गांधी से सम्बन्धित किसी बाहर के बैंक के झूठे ड्राफ्ट का जो प्रश्न उठाया, उस पर यहां घंटों चर्चा हुई । जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है, इस सदन में अन्य सभी इस्यूज पर डिसकशन हो रहा है, लेकिन कमिश्नर की रिपोर्ट पर डिसकशन के सम्बन्ध में यहां भी हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है ।

एक माननीय सदस्य : हरिजनों के बारे में बोलिए ।

श्री वी० तुलसी राम : हरिजनों के बारे में ही मैं बोल रहा हूं । हरिजनों पर जो अन्याय हुआ है उसी को बताने के लिए बोल रहा हूं । बेलची कांड की बात मैं ने बतायी.... (**व्यवधान**)

श्री दीनन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : तेलंगाना में क्या किया ?

श्री वी० तुलसी राम : कहते हैं कि कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ था लेकिन इस में कांग्रेस

और जनता का क्या सवाल पैदा होता है ? आज जनता पार्टी को पब्लिक ने जिता कर सत्ता में बैठाया है तो रोज यहां संजय गांधी और इंदिरा गांधी पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठाया है। जनता चाहती है कि आप जनता के लिए कुछ करें। इसके लिए आप को नहीं बैठाया कि इस के ऊपर कमेटी बैठाएं, उस के ऊपर बैठाएं। मैं यह नहीं कहता कि जो दोषी हैं उन को पकड़े नहीं। लेकिन जो इम्पार्टेंट चीज है उस को भी तो सोचिए। हरिजनों पर जो अन्याय हो रहा है उस के लिए तो आप सोचते ही नहीं। आज अगर सब टोटल निकाल कर देखा जाये, चरण सिंह जी अपनी पुलिस की रिपोर्ट मंगवाएं और प्रैस की सारी कटिंग्स मंगा कर देखें तो मालूम होगा कि तीस साल में जो नहीं हुआ है वह इन तीन महीनों में हुआ है। . (व्यवधान) आप मंगा कर देख लीजिए, यह रेकार्ड में है, हां हां करने से कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि जनसंख्या कम करने के लिए जो नसबन्दी का काम चल रहा था उस को बन्द कर के इन लोगों को मरवाया जा रहा है, यह इन पर आजमाया जा रहा है। लगता है राजनारायण जी का काम श्री चरण सिंह जी को सौंप दिया गया है हरिजनों और दूसरे गरीब लोगों को मरवाने के लिए।

मैं कहता हूं रोज रोज जो यह चर्चा होती है उस से क्या जनता खुश हो जायेगी ? रोज रोज चर्चा करने से उस की वैल्यू घट जाती है, लोग ऊब जाते हैं। आप किसी अच्छी चीज के लिए चर्चा करें। आखिर गरीब क्या चाहता हैं। पेट के लिए दो रोटी और सोने के लिए एक झोपड़ी। मगर उस के लिए न सोच कर. आप रोज रोज कमेटी पर कमेटी बैठाने की बात करते हैं और इंदिरा गांधी, संजय गांधी की बात हर मिनट पर हर रोज करते जाते हैं। इस का मतलब तो यही होता है कि आप उन्हें हीरो बना रहे हैं। . . . . (व्यवधान)।

मैं श्री चरण सिंह से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि वे बहुत बड़े जादूगर हैं, उन का जादू बहुत तेज है, वह किधर चलता है यह मालूम नहीं पड़ता, मैं उन से निवेदन करता हूं कि वे कुछ जादू इन गरीबों की तरफ, इन गरीबों की रक्षा के लिये भी चलाएं। ये कहते हैं कि 30 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और जो कुछ हुआ उस के लिए कांग्रेसी जिम्मेदार हैं। मैं पूछता हूं कि इन में कौन कांग्रेसी नहीं है ? क्या बीजू पटनायाक कांग्रेसी नहीं हैं ? क्या मोरारजी भाई कांग्रेसी नहीं हैं ? क्या श्री चरण सिंह कांग्रेसी नहीं हैं ? कौन कांग्रेसी नहीं है ? जनता पार्टी आज पैदा हुई है। इस के पहले ये सभी लोग तो कांग्रेसी थे ! तो इस का मतलब यह थोड़े ही हुआ कि ये उस के जिम्मेदार नहीं हैं।

MR. DEPUTY-SEAKER : I would once again appeal to the Members. When I ring the bell, that is the first warning. When I ring the bell a second time, you should conclude. Even so, when I request you to conclude and if you do not conclude, I will be forced to ask you to sit down and call the next speaker.

Shri Harishankar Mahale.

*श्री हरिशंकर महाले (मालगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आदिम जाति तथा जनजाति के लोगों की स्थिति क्या हैं तथा उन के लिए क्या किया जाना चाहिये, इस के लिये आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट तैयार होती है। उस पर लोक सभा में चर्चा होती है तथा उस पर कार्यवाही की जाती हैं। यह 1977 का वर्ष है। इस समय सन 1975-76 की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिये थी। परन्तु सन 1971-72 1972-73 तथा 1973-74 की रिपोर्ट चर्चा के लिये प्रस्तुत की गई हैं। सन 1977 की मार्च 16 तारीख तक 'गरीबी हटाओं' का नारा देनेवाली सरकार अस्तित्व में थी। उस सरकार

*The original speech was delivered in Marathi.

[श्री हरिशंकर महाले]

को केवल नारेबाजी करनी थी, काम नहीं। जब रिपोर्ट पर चर्चा ही नहीं हुई, तब कार्यवाही कहां से होती।

चार-पांच दिन पूर्व भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री महान राष्ट्रीय संत आचार्य विनोबा भावे से मिलने पवनार गई थीं। राह में लोगों ने उन का स्वागत किया था। मुझे स्वयं बड़ी प्रसन्नता हुई। गरीब देश की प्रधान मंत्री के रूप में वे निश्चित ही रास्ता भूल गई थीं। जनता ने उन की वास्तविकता को प्रकट कर दिया है। लोक सभा में चर्चा भी हुई। तो भी इन्दिरा जी ने अपनी गल्तियों के सम्बन्ध में खेद व्यक्त नहीं किया। सही आरोप हो तो कोर्ट में साबित करो। कोर्ट में साबित हो जाये तो भी उन्हें माना नहीं जाता। बेचारी जनता भोली भाली होती है, उस से भी सच नहीं बोलती। लगता था—मन ही मन पश्चाताप होने के बाद संत के चरणों में बैठ कर इन्दिरा जी सत्यवादिता से काम लेंगी। पर ऐसा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इस के विपरीत इन्दिरा जी ने नाटकीय ढंग अपना कर सभा में कहा कि पिछड़े तथा गरीब लोगों का कल्याण होने चाहिये। पर जिस सरकार को पिछड़े लोगों का कल्याण करना था, उसे अवतरण हुए सिर्फ चार ही तो महीने हुए हैं। सत्तारूढ़ होते हुए सन 1971–72, 1972-73 तथा 1973-74 की आदिमजाति एवं जनजाति सम्बन्धी रिपोर्ट पर चर्चा क्यों नहीं की? उस पर चर्चा आज हो, यह कैसी विचित्र बात है। लगता है उस सरकार को इस चर्चा की याद ही नहीं रही। दिवंगत बाबासाहेब अम्बेदकर ने इन लोगों के संरक्षण के हेतु संविधान में अनुच्छेद 46,47 तथा 338 का उपबन्ध किया था। संविधान के अनुसार कार्यवाही न कर के संविधान का उल्लंघन किया गया है। इसे मानवता के प्रति अथवा राष्ट्र के प्रति अपराध कहा जायेगा।

हरिजनों पर किये जाने वाले अत्याचारों को लेकर एक-दो दिन लोक सभा में जोरदार बहस हुई। प्रतिपक्ष के नेता माननीय यशवंत-राव चव्हाण ने इस प्रश्न पर बोलते हुए कहा कि जनता पक्ष की सरकार को इस की रोकथाम करनी चाहिए। यह उस का कर्तव्य है और उसे वह पूरा करना ही चाहिए। पर प्रतिपक्ष के नेता यह भूल गये कि इन अमानुषिक घट-नाओं के लिये उन्हीं की पिछली सरकार अधिक उत्तरदायी है। मैं किसी भी जन प्रतिनिधि की वैयक्तिक निन्दा विनोद में भी नहीं करना चाहता। किसी भी राजनैतिक दल का केवल विरोध की भावना से विरोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। पर जब जनसाधारण पर अत्याचार हो और राष्ट्रीय अपराध किये जाएं तो मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को उचित बात के लिये अपना मुंह खोलना ही पड़ता है। जो बात उचित हो, वह मैं अवश्य कहता रहूंगा। केन्द्र की यदि यह दशा हो तो राज्यों में क्या होगा? जिला परिषदों की क्या दशा होगी? अब तक उपेक्षित स्थिति में पड़ी रिपोर्ट को जनता सरकार चर्चा के हेतु प्रस्तुत कर रही है। जनता सरकार तथा गृह मंत्री श्री चरण सिंह धन्यवाद के पात्र है। केवल शाब्दिक चर्चा मात्र से बात नहीं बनेगी। अन्तःकरणपूर्वक काम करने की आवश्यकता है। जनता पक्ष के घोषणा पत्र के अनुसार कार्यवाही की जायगी, ऐसा विश्वास है। बजट की ओर दृष्टिपात करें तो दस करोड़ के अन्तर को छोड़ शेष सभी बातों में यह पिछले बजट जैसा ही है।

आदिम जाति तथा जनजाति की स्थिति में सुधार लाने के सवाल पर किसी भी राज-नैतिक दल को राजनैतिक दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये। इन गरीब लोगों की हालत देखने पर यही मुंह से निकलता है कि अगर बाढ़ ही खेत चरने लगे तो बेचारे खेत का क्या होगा?

निस्संदेह जिस देश की संस्कृति बहुत ही उन्नत है, विदेश नीति भी उतनी ही उन्नत है तभी तो इस देश ने निर्वासितों की सहायता की है

तथा बंगला देश को मानव-शक्ति और आर्थिक शक्ति प्रदान की है। पर हमारी सरकार ने अपने ही देश की पीड़ित जनता एवं पीड़ित वर्गों के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया है।

जब तक इस देश के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि, विविध कार्यकर्तागण, बुद्धिवादीवर्ग, धनी-किसान, बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, व्यापारी, कारखानों के मालिक, पदाधिकारी, संगठित कर्मचारी, सुरक्षित श्रमजीवी, डाक्टर, वकील, वैज्ञानिक, तकनीकी ज्ञान रखने वाले, आदि, लोग तथा जिन का सवाल हल किया जाना है, वे लोग इस समस्या की ओर आत्मीयता से नहीं देखेंगे, अंतःकरणपूर्वक काम में नहीं जुटेंगे, इसे राष्ट्र की समस्या नहीं मानेंगे, तब तक इन पिछड़े वर्गों की स्थिति नहीं सुधर सकेगी।

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार इस देश में आदिमजाति तथा जनजाति के लोगों की कुल संख्या 12 करोड़ है। इन में आदिवासियों की संख्या 4 करोड़ है। उनकी बस्तियां अधिकांशतः जंगल के इलाकों में हैं। 70 प्रतिशत लोगों के पास खेत नहीं हैं। जिनके पास खेत हैं, उनका भी समूचे वर्ष के उदर-निर्वाह का प्रबन्ध नहीं है। शिक्षा का अभाव है। लगभग 95 प्रतिशत लोग अधपेट तथा अर्धनंगे रहते हैं। जहां अन्न और वस्त्र का अभाव हो, वहां अगला विकास कैसे होगा? इस देश में 10 लाख लोग जंगलों की कटाई की मजदूरी करते हैं। यह काम सिर्फ एक-दो महीने ही चलता है। पर अब तो जंगल भी नष्ट होते जा रहे हैं। जंगलात राष्ट्रीय आय का बड़ा साधन है। जंगलों तथा आदिवासियों के अन्यान्य सम्बन्ध हैं। पिछली सरकार ने इस सत्य की ओर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान नहीं दिया।

महाराष्ट्र का ही एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। दिनांक 28-7-1977 को आदिवासी सब-प्लान की मीटिंग थी। मुख्य मंत्री माननीय बसंतदादा पाटिल भी उपस्थित थे। सभी आदिवासी विधायकों ने जंगल सम्बन्धी विषय प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र में "वन विकास मंडल" नामक एक मंडल है। उस मंडल ने एक भी वृक्ष साबुत न रखते हुए अच्छे जंगल भी काटकर साफ कर दिये हैं। बाद में वहां नया जंगल लगाने की योजना है। इस प्रकार हजारों एकड़ जंगल साफ़ हो गये हैं। जहां वन-विहीन पर्वत विभाग है, जहां उतारवाली फारेस्ट की जमीन है, वहां उसने कोई पराक्रम नहीं किया। विधायकों ने स्पष्ट कह दिया कि यह वन-विकास नहीं, यह तो वन-ह्रास है। ये लोग विद्यमान जंगल को काट डालेंगे, पर नया जंगल ठीक ढंग से नहीं लगायेंगे। इस से आदिवासियों की, आदिवासी-जंगल-कामगार सहकारी सोसाइटियों की तथा देश की बहुत बड़ी हानि होगी। जंगल कामगार सोसाइटियां आदिवासी जंगली इलाकों में शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्य करती हैं। इन संस्थाओं के कारण इन प्रदेशों में थोड़ी बहुत जाग्रति आई हैं। वन-विकास मंडल के कारण ये संस्थायें संकट में पड़ गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन का अधिक समय न लेते हुए केवल कुछ एक महत्वपूर्ण बातों का मैं यहां उल्लेख करता हूं—

1. आदिम जातियों तथा जनजातियों के लिये केवल एक ही आयोग गठित किया जाता है। दो स्वतन्त्र आयोग होने चाहिये, क्योंकि इन दोनों की समस्यायें भिन्न-भिन्न हैं।

2. इन दोनों वर्गों के लिये केन्द्र तथा राज्यों में स्वतन्त्र मंत्रालय, स्वतन्त्र निगम तथा रोजगार, उद्योग, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि के लिये विशेष विभाग बनाया जाना चाहिए।

3. स्थिति में सुधार के लिये पैसे दिये जाते हैं, पर उनका ठीक से, ठीक समय पर तथा उन्हीं कामों पर खर्च नहीं होता। दूसरे कामों पर खर्च होता

[श्री हरिशंकर महाले]

है। इस के लिए एक निरीक्षण समिति गठित की जानी चाहिये।

4. छोटे उद्योगों को कर्ज देने की वैसी ही सुविधा होनी चाहिए, जैसी कि विदेशों में व्यापार करने वाले व्यापारियों को उपलब्ध है।

5. टाटा, बिरला आदि बड़े उद्योगपतियों को सरकार आर्थिक सुविधाएं प्रदान करती है। उसी प्रकार चमार, टोकरी बनाने वाले लोगों तथा अन्य छोटे धंधे करने वाले लोगों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

6. पशुओं की हड्डियां, विष्ठा, सूखे-पत्ते, मानव विष्ठा आदि एकत्र करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इस से खेतों की अच्छी खाद मिलेगी। रासायनिक खाद पर जो अपार धन-राशि व्यय की जाती है, वह कम हो जाएगी।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके लोगों को रोजगार दिलाया जाना चाहिये।

8. भूमि सुधार का कार्य निःशुल्क किया जाना चाहिए।

9. खेती के अन्य सुधार कार्यों के हेतु दीर्घावधिक ब्याजमुक्त ऋण दिये जाने चाहिएं। दुग्ध उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अधिक जमीन की सिंचाई के हेतु भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए लघु बांधों की योजना बनानी चाहिए।

10. गृह निर्माण संस्थाओं को स्वीकृति देते समय 30 प्रतिशत लोग आदिम जाति एवं जनजाति के लिये जाने चाहिएं। ऐसा न हो तो उन संस्थाओं को न तो रजिस्टर करना चाहिये और न ही उन्हे कर्ज उपलब्ध कराना चाहिये

11. तीन-चार हजार लोगों की बस्तियों के आसपास एक आश्रम-पाठशाला होनी चाहिए। एक-शिक्षक पाठ-शालाए बन्द कर देनी चाहियें।

12. बड़े शहरों में 300–400 लड़के-लड़कियों के बोर्डिंग बनाये जाने चाहियें। उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।

13. नौकरियों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार भरती नहीं की जाती। वह होनी चाहिए। इस बारे में बहुत ही कड़वे अनुभव हैं।

14. कमीशन की रिपोर्ट देखने से वही पुराना रोना-धोना और शिकायतें दृष्टि-गोचर होती हैं। इसीलिए इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अतः इस सम्बन्ध में एक मूल्यांकन समिति की स्थापना की जानी चाहिए। उसका फैलाव केन्द्र से लेकर ग्रामों तक होना चाहिए। यह काम मौजूदा सरकारी मशीनरी द्वारा तथा जन-प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा सकता है। किसी नई मशीनरी की आव-श्यकता नहीं है। केवल उनसे काम लेना ही महत्व की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर दिया, उस के लिये धन्यवाद।

SHRI HUKAM RAM (Jalore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it has been a proud privilege for me to make my first submission in this august House and that too, on the Commissioner's reports on Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I am indeed, happy that my first submission is about the Scheduled castes and Scheduled tribes because I belong to them.

When I had a talk with the hon. Prime Minister regarding this Motion, who has been kind enough to place the Reports —these seven year old reports now and another three years have again gone after 1974. And his reply was : "मैंने तो कोई कसूर नहीं किया।" He has been quite right because this is the work of the previous corrupt Congress Government. I can tell you very emphatically because I was the victim of the tyranny, tortures and what not, perpetrated by the Congres sites. In spite of that, they only paid lip sympathy for us. With complete knowledge and with all the experience at my command, I can very safely and honestly and also with vehemence challenge the arguments which they have advanced for what they have done during all these thirty years.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Usually, when there is a maiden speech, there should be no interruption.

SHRI HUKAM RAM : After seven years, we have here the reports of 1970-71, 1971-72, 1972-73, and 1973-74. And three years have also gone thereafter. These old reports have now been discussed. It shows that the the previous Government had nothing to do with the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the poor people.

Anyway, I would not go into all the problems mentioned here in the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would touch some of them because I cannot deal all of them. But, I would certainly say that though there has been a great hatred and heart-burning against the reservation in the hearts of those who call themselves as caste-Hindus, they should not forget as to who are real Hindus. They are the Scheduled Castes only because they are certified as such by the District Administration. Even then they say that "we are the best and the highest". What I want is that they should be Chaste Hindus.

I can only say that this reservation has brought in them a bad sense, a sense of hatred. I should request them to please do away with it. I only consider it to be a sort of a ring worn on the smallest finger. When worn with that ring it simply enhances its importance. As we know, the strength of a chain is measured by the weakest link. In the Hindu society, in the Indian social order, Harijans and Scheduled Castes form the weakest link and if you stretch it too much, the chain will be broken. Many hostile persons who are also arrogant, do not have a proper sense of what this means unless they go to America and they are insulted because of their colour. Even the late Shri G. L. Mehta, our Ambassador there, was insulted as a coloured man.

Regarding constitutional reservation, I should say that only in State services it is there. In public undertakings it is not there. I am yet to come across a man who could be Chairman of the State Trading Corporation, Food Corporation of India, etc. Nobody is there. Only the *defeated politicians, certain corrupt* people and others have been superimposed there. Then there is the question of the nationalised banks. I also come to the Judiciary and then to Lok Sabha. I requested the Secretary of the Lok Sabha: please tell me what is the quantum of reservation in Lok Sabha. I am very sorry to tell you that not a single letter has come. This is happening under our very nose. You want to talk of reservations. It is nowhere here in the Lok Sabha. What about Rajya Sabha? I do not know. What about Judiciary? Nobody cares. Seven year old and stale reports have been put here. It is only a ritual. This ritualistic affair should be done away with. There should be active consideration of the recommendations that have been given by the Commissioner under article 338 of our Constitution.

I come to services. I can give you two figures. About the Government of India I do not know much. I know about Rajasthan. Unfortunately it is an old report, 20th report, for the year 1970-71 i.e. pages 241 and 243. On page 243 they have written that out of a total of 3286 officers, as on 1-1-1971, 156 persons, Class I posts, belong to Scheduled Castes. I fail to understand this because there were hardly 6 IAS and 5 IPS officers and a few in other positions in the State and somebody in Khetri project: there were only 12 Class I officers or so; it cannot be more than 12 or 14. On page 243, statement II, they have given 58, about Class I Posts filled by Scheduled Tribes.

Sir, so, the total comes to 214. It is such a white lie, bigger than the Himalayas, that had been spoken by the Rajasthan Government and accepted by the Home Ministry. I am sorry the Home Minister is not here. I with the officials and the Ministers, all should know that

[Shri Hukam Ram]

those were fake and false and spurious figures. There should be a proper and thorough investigation in it.

There was one special IAS recuritment examination in the year 1956. 21 years have gone by and not a single examination of that sort took place thereafter. There has been a great hue and cry that Scheduled Caste candidates were not available that they were not having good personality. What about emergency recruitment? Why do you not give them some latitude and train them up properly so that they could come up to the mark? About promotions they have fixed certain quotas. Promotion has become the business of merit. Merit means flattery; flattery means surrender; surrender means servile attitude. "जो चापलसी करता है, वह ऊंचा बढ़ता हैं, जो कुछ बोलता है उसकी सी०आर० खराब कर दी जाती है ।

Many times the Ministers do not do anything. But I know the hon. member who was a Minister in Rajasthan and is happily now in the Lok Sabha from Rajasthan.

15·00 hrs.

So, my submission is that all vacancies in all the State Services as well as all India services as existing on 1st January every year should be ascertained carefully and then the percentages should be derived and necessary competitive examinations should be followed thereafter.

Regarding enhancement of these reservation percentages, previoulsy, the Congress Government put 15% for Scheduled Castes and 7 1/2% for Scheduled Tribes. In Rajasthan it is 17% for Scheduled Castes and 11% for Scheduled Tribes and that makes 28%. Here in the Central services it was just 22½%. But the Janata Government in its manifesto has raised this from 22½% to 33%. I have entire faith in the Janata Party and I can only say that the time is very near when we shall be in a position to see that all those gaps and deficiencies, all those vacancies which have not been filled up so far, are filled up completely.

Regarding promotion, I may say some thing more. That merit formula is, of course, there. Apart from this, it has created some heart-burning. In order to remove this heart-burning, my suggestion is that all the posts which are to be filled up through promotion should invariably be filled through competitive examinations.

Now I come to the latest figures of this 1973-74 Report, page 97; where even the Commissioner himself says "no substantial improvement during the three preceeding years has been there and the percentages of employment etc. in the services are still far below the prescribed percentages".

Regarding the Commissioner's post, I have already written a letter to the Prime Minister saying that this post has to be strengthened. For the last ten years, some spurious things have come in and many persons have tried to take advantage just in order to show us that they are our well-wishers and that they are the only fortunate persons on this earth to carry on the work of Social Welfare. I can only say that they have tried to emaciate the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Schedulted Tribes. In many ways this agency of the Director General, Backward Classes Welfare at the Centre has simply emasculated the Office of the Commissioner. There have been seventeen zonal Offices and all these have been taken away and put under this Director-General, with the result that the Commissioner does not have that control and the responsibility as well as authority over all these persons, and the result is very simple, i.e. this ritualistic business of putting the reports for discussion and deriving nothing out of them as it is going on for years.

The position of the Commissioner has to be strengthened. And the Offices which have been taken away under the garb of this Director-General, Backward Classes Welfare, have got to be restored to the Commissioner, with one zonal office at every State Headquarters, as existed one decade before.

Regarding reservation, it is now guaranteed under Article 16, Clause 4 of the Constitution read with Article 335. Yesterday, the hon. Railway Minister was telling that they will have to see how this deficiency in recruitments at various levels can be removed. I would say that it is a very simple thing and that is enshrined in the Article 320, clause 4 of the Constitution. That says, "if in the opinion of the State, a particular class or percentage is not there in the Services it shall not be necessary for the Public Service Commission to be consulted". With the executive a uthority, with the executive power of the Government, all these deficiencies can be removed. But it has never been touched. I have seen this glaring fact in all the three or four Commissioner's reports. He has made recommendations only to see that he can make a report, and the recommendations go to the cold storage of the Home Ministry year after year.

Now I come to commissions. First, the Scheduled Castes Commission headed by Shri Kaka Saheb Kalelkar, which was constituted in 1953—I do not know myself what are their recommendations and how far they have been implemented. I come to the next Commission headed by the late Shri U. N. Dhebar in the year 1965 for the Scheduled Tribes, recommendations of which are also not known. Of course, there is a provision that a commission should be established after every five years. When we can have Finance Commission after every five years, why not these Commissions constituted after every five years? There should be a complete ascertainment of the situation as to what are the Castes and Tribes to be kept in the lists and what are the Castes and Tribes to be taken out of them. But the previous Government, which was guided by high-sounding slogans and many things could not do it. because they were busy with their own affairs.

Coming to Public Service Commissions, I am yet to come across a Chairman of a public service commission who is member of a Scheduled Castes or Scheduled Tribes. In my own State of Rajasthan, a Scheduled Tribe candidate who should have been made the Chairman was superseded by somebody else and that somebody else was further superseded by somebody else, because he was the Home Secretary and he was in the good books of the previous government. What is the value of seniorty in the public service commission? If the public service commission which is the custodian and guardian of the rights of civil servants does not take care of its own members, what can be expected or done? I am surprised that if persons of that stature have to run from pillar to post to get justice, what about the fate of the poor people who have got no power, no association and no money? How can they get justice? Postings are made on political considerations. In my State of Rajasthan, in 1954-55, I say in all humility and sincerity, that Mr. Jagannath Pahadia, who was Deputy Minister here, could not qualify in the written test. Similarly Mr. Onkarlal Chauhan, an ex-M.P. and a Minister of Welfare of in Rajasthan also could not qualify in the written test and interview. I passed and qualified at the PCS but I was made to rot. Therefore, I got voluntary retirement in sheer disgust against the corruption created by vested interests under the previous regime. The son of the ex-Speaker, without going through the formality of appearing before the public service commission, becomes a big officer in Delhi. The son-in-law of Shri Kumbha Ram Arya, an ex-Minister, becomes a big officer without getting any clearance from the public service commission. The husband of Shrimati Sumitra Devi, an MLA also becomes an officer without passing the examination. Similarly, about Shri O. K. Murthy, I have written to the Prime Minister that he is likely to retire, although he has never gone through the rigours of appearing before a public service commission. He has to get himself qualified at least before his retirement.

Sir, I would not say anything more about the atrocities of the Hundred Days. I wish we have hundred years of prosperity and the same for always. Our Home Minister has said that atrocities are not so much. Of course, I have not got that much knowledge but there has been a sense of fear. I would like to tell the Government that this sense of fear has got to be removed. If that is done and if a sense of confidence is created, I am quie sure that this government will always get the support of the down-trodden people and these down-trodden people must become one day "forward classes" about which the previous government tried and failed, but we shall not fail.

श्री डी० डी० गवई (बुलडाना) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में हरिजनों और आदिवासियों के उद्धार तथा कल्याण के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। इस विषय में मैं अपनी बात साफ साफ कहूंगा और सदन के दोनों पक्षों में से किसी को खुश नहीं करूंगा। बिहार में और अन्य स्थानों पर अस्पृश्यों या हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं उन का विवरण सुन कर हृदय अग्नि-कुंड हो जाता है, दुख से फट जाता है, और दिल में जो अमृत होता है, वह सड़ कर विष बन जाता है। इस दुनिया में हरिजन के यहां जन्म लेना एक महापाप है। उससे मौत अच्छी लगती है। हरिजन होने के कारण उस पर कितने अत्याचार होते हैं, उसका जीवन कैसे बर्बाद किया जाता है, कैसे उसे अपमानित किया जाता है, यह बड़े दुख की बात है और इस देश के लिए बड़ा कलंक है। इस कलंक को धोने के लिए क्या उनको नौकरियों में ज्यादा परसेंट में भरा जाय तो वे अच्छे हो जाएंगे? जातीयता नष्ट हो जायगी? उनको उद्योग धन्धे उपलब्ध करने के बाद उनकी अस्पृश्यता चली जायगी? यह एक बड़ा सोचने का सवाल है। मैं कहत

[ी डी० जी० गवई]

हूं कि वे अगर अमीर भी बन जायं तो भी वह छुआछूत का कलंक और जो डिग्री उन को दी है, जो नामकरण किया हैं हरिजन का वह उन के साथ चलता रहेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली बात इस देश में यह होनी चाहिये कि यह हरिजन नामकरण ही खत्म कर देना चाहिए और ऐसा कोई नाम रखना चाहिए जिस की वजह से हमारे देश की एकता और अखंडता कायम रहे। आज जिस को आप हरिजन कहते हैं उस का क्या हाल होता है ? मैं भी एक हरिजन हूं, मुझको आप लोग हरिजन कहते हैं तो शर्म से मेरी गर्दन झक जाती है। मुझे यह अफसोस होता है कि भगवान ने क्यों मुझे हरिजन के यहां जन्म दिया ? ब्राह्मण के यहां क्यों नहीं दिया ? महाजन के यहां क्यों नहीं दिया ? कांग्रेस तीस साल तक सत्ता में रही, उन्होंने जो अच्छा किया या बुरा किया वह उन को मालूम है। हम तो यह भी देखते हैं कि अभी इलेक्शन के पहले तक चलता था– भाई और बाई, लेकिन एलेक्शन के बाद वे दोनों नहीं रहे। खैर, उस को जाने दे। लेकिन मैं यह कहता हूं कि हमें जड़ की तरफ जाना चाहिए। अगर इस देश में लोकशाही के वृक्ष को हमें बढ़ाना है तो संसदीय लोक शाही के वृक्ष को जो रोग लगा हुआ है वह बड़ा भयंकर कैंसर है, अगर उस का ठीक तरह से निदान नहीं करेंगे और ठीक तरह से इलाज नहीं करेंगे तो देश के शरीर के खत्म होने में देर नहीं लगेगी। यह जातीयता का रोग इतना भयानक है कि इस को खत्म कर देगा। डा० अम्बेडकर ने एक बहुत पुरानी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि देश में यह जहरीला वृक्ष बढ़े और इस देश में जो संसदीय लोकशाही की व्यवस्था हैं उस को खत्म कर दे। इस के लिए डा० अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म के सरदारों के साथ और महात्माओं के साथ बात की। जिन को आप लोग महात्मा बोलते हैं और बड़ी बड़ी जगहों पर जिन के लोग पैर धोते हैं उन की बात मैं बताता हूं। यहां बहुत से ब्राह्मण लोग बैठे होंगे, वे गुस्से में न आए, ऐसा होता है कि जब लड़के का जन्म होता है तब भी ब्राह्मण चाहिए और जब वह बुड्ढा हो कर मर जाता है तब भी ब्राह्मण चाहिए। जन्म से मत्यु तक ब्राह्मण से पीछा नहीं छूटता है। हर जगह वह लगा रहता है। तो अब पाश्चात्य देशों में अन्तरिक्ष का युग चल रहा है, लेकिन यहां क्या आप पाषाण युग की बात चलायेंगे ? अब तो अन्तेरिक्ष युग है। एलेक्ट्रिक युग गया, बीच का दूसरा युग गया, इस अंतरिक्ष युग में भी यहां एक कमजोर वर्ग पर जातीयता के नाम पर अत्याचार होता है, उस पर लाठी चलायी जाती है, घर जलाया जाता है, उस की मां बहनों की इज्जत गली गली में लूटी जाती है।

उस दिन हमारे एक बड़े बुजर्ग कार्यकर्त्ता है श्री रामानंद तिवारी वह बोल रहे थे तो उन्होंने बाताया कि उन के प्रांत में जानवर जो अनाज खाकर टट्टी करते हैं, वे लोग उन जानवरों की टट्टी को लेते हैं और उस को धोकर उस में जो अनाज निकलता है उस को खाते हैं। क्या ऐसे दाने दाने पर उनका नाम लिखा है ? यह कितनी शर्मनाक बात है इस देश के लिए कि आज भी यहां पर बैल के गोबर से दाना निकाल कर खाने की बात चल रही है। वह बड़े दुःख की बात है। हरिजन कहते हैं कि लोग हमारा संरक्षण नहीं करते हैं, सरकार को हमें संरक्षण देना चाहिए लेकिन मैं पूछता हूं क्या होम मिनिस्टर उनके संरक्षण के लिए उनके घर में ड्यूटी देने के लिये जायेंगे ? क्या आप इनसान नहीं हैं ? क्या आप चेतनाहीन इनसान हैं ? क्या आपमें कोई चेतना नहीं हैं ? मैं कहता हूं कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर लाठी बरसाता है तो उसका जवाब लाठी से देना चाहिए। तुमको अपने पैरों पर खड़े होना होगा वरना तुम्हारा संरक्षण करने वाला कोई नहीं होगा।

तुम्हें स्वयं अपना संरक्षण करना होगा । अगर तुम सरकार पर .नभर रहे तो इस प्रकार कई सदियां बीत जायेंगी, इसी प्रकार से नाटक होता रहेगा, इस सदन में हरिजनों से संबंधित रिपोर्टें पेश होती रहगी और उन पर विचार भी होता रहेगा और लोग कहेंगे कि हरिजन अभागे हैं । मैं पूछता हूं उनको अभागा क्यों कहा जाता है ? हम भी इनसान हैं, हमारे भी चेतना हैं और हमारे शरीर में भी खून, मांस और हड्डियां है ।

इस कलंक को धोने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । श्रीकृष्ण ने कहा कि सभी में, सभी जगह मैं हूं । जल, थल और आकाश में सभी में मैं हूं । उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है । इसी तरह से मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह ने मुझे भेजा है लेकिन जातीयता मिटाने की बात भगवान बुद्ध ने बताई । उन्होंने कहा कि मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं तो केवल मार्ग बताऊंगा । अगर आपको अच्छी लगे तो इस पर चलो । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में ब्राह्मण के हाथ से लंगोटी पहनाने का सवाल रहेगा, इस देश से कभी भी छुआछूत जाने वाली नहीं है । कल हमारे एक भाई साहब ने कहा कि सवाल रोटी का नहीं है, सवाल बेटी का है । रोटी तो हम सब एक साथ खा लेते हैं । आज इतना बड़ा साइकोलाजिकल डेप्रेशन है हरिजनों पर और हिन्दुओं पर कि हरिजन की बेटी हिन्दू के लिए देनी हो तो वह भी अपने समाज की तरफ देखेगा । वह सोचेगा कि मैं हल्की जाति का हूं इसलिए अपनी लड़की दूसरे को दी है । इसलिए वह जो हरिजन का नाम है उसको ही मिटाना होगा । (**व्यवधान**) आपने मुसलमान का सवाल उठाया तो इस देश में 4–5 करोड़ मुसलमानों की आबादी के पीछे इस देश के दो टुकड़े हो गए लेकिन इस देश में 12 करोड़ अस्पृश्य, शेड्यूल्ड कास्ट रहते हैं जिनको इस देश के प्रति स्वाभिमान है, वे इस देश के लिए मर मिटने को तैयार है और इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं, इस देश को स्वतंत्र बनाये रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं । हमारे नेता, डा० अम्बेडकर ने जो संविधान तैयार किया उसकी वजह से आज हम यहां पर बैठे हैं लेकिन आप लोगों ने तो उस पर भी प्रहार किया । (**व्यवधान**) उन्होंने संविधान में जो निदेशक तत्व दिए हैं वे इस समाज की रक्षा करते है लेकिन उसका भी आपने दुरुपयोग किया जिसका प्रायश्चित आपको मिल गया । तो वह सवाल नहीं है । सवाल यह है कि केवल नौकरी देने से, थोड़े बहुत उद्योग-धंधे देने से काम नहीं चलेगा । अभी एक माननीय सदस्य ने चमड़ा निकालने की बात कही । मैं कहता हूं मैं एक हजार रुपया देने के लिए तैयार हूं और कहता हूं कि चमड़ा निकालो लेकिन क्या कोई यहां तैयार होगा ? मैं कहता हूं कोई तैयार नहीं होगा । यह तो अस्पृश्यता बढ़ाने की बात करते हैं । यह बात छोड़नी चाहिए । हम चमड़ा नहीं निकालेंगे और न कोई दूसरा गंदा काम करेंगे । हम जूठा नहीं खायेंगे, गोबर का अनाज नहीं खायेंगे । हम देश को विघटित नहीं करना चाहते हैं, हम देश को स्वतंत्र आबाद देखना चाहते है । (**व्यवधान**) जब तक रिजर्वेशन रहेगा, अस्पृश्यता रहेगी, यह बात ठीक हैं । डा० अम्बेडकर ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 10 साल में यह खत्म होना चाहिये, आप लोगों ने खत्म क्यों नहीं किया ?

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : इन लोगों ने खत्म नहीं किया, इसी लिये ये लोग खत्म हो गये ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : हम लोग खत्म नहीं हुए है ।

श्री डी० जी० गवाई : इस देश के हरिजनों और गरीबों को गुमराह करने के लिये इन्दिरा गांधी से एक 20 कलमी कार्यक्रम और एक 4 कलमी कार्यक्रम बनाया । उस में ऐसी कोई कलम नहीं थी, जिस से उन का भला हो सके । उस में एक कलम थी कि गरीबों को 150 रुपये में झोंपड़ी (घर) मिलेगी । भगवान ने भी आश्चर्य किया होगा कि ऐसा कौन सा अवतार आ गया है जो 150 रुपये में घर देगा । मेरे भी नाते-रिश्ते के लोग झोपड़ी वाले हैं । मैं एक रिश्तेदार के यहां गया और कहा कि आज आप के यहां मुकाम करूंगा । वे बोले—मेहरबानी कीजिये । मैंने कहा—तुम ने इन्दिरा जी का फोटो लगाया हुआ है, उन्होंने बड़े-बड़े प्रोग्राम बनायें हैं, आप मुझ को अपने यहां सोने दो । वह कहने लगे जब हम दोनों—जोरू-मर्द घर में होते हैं तो बच्चे बाहर चले जाते हैं और जब बच्चे घर आते है तो हम दोनों को बाहर जाना पड़ता है । मैंने उस मकान को हिला कर देखा तो वह पूरा मकान मेरे अंग पर दौड़ने लगा । 150 रुपये में मकान देकर गरीबों के साथ मसखरी की गई है । आप ने प्रोग्राम बनाया, मकान बनाये गये, गरीबों को 150 रुपये में दिये गये, लेकिन उन्होंने वोट आप को नहीं दिया, क्योंकि उन के साथ मसखरी की गई थी, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये उन गरीबों से नाजायज फायदा उठाया गया ।

इस देश से यदि जातीयता के भूत को मिटाना है—वह भूत पिछली सरकार तो नहीं मिटा सकी, लेकिन अब अच्छी सरकार आई है, जनता सरकार आई है, मैं इस सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरफ ज्यादा ख्याल कीजिये और इस देश को सुजलाम, सुफलाम बनाइये, डाक्टर अम्बडकर का स्वप्न साकार कीजिये, महात्मा गांधी का स्वप्न साकार कीजिये ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव : (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आप ने मुझे बोलने का समय दिया । हरिजनों की समस्या बहुत जटिल है, बड़ी गम्भीर है । हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि इस देश में सदियों से जो दबे हुए है, गिरे हुए है, पिछड़े है, उन को उपेक्षा की नीति से देखते रहे । पिछले तीस वर्षों के शासन में जितना अत्याचार, अन्याय इन हरिजनों के साथ हुआ, शायद उस के पहले कभी नहीं हुआ, आजादी के पहले जमीदारों, राजा-महाराजाओं के जमाने में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ। पिछले तीस साल के कांग्रेसी शासन में उन को उन के अधिकारों से भी वंचित रखा गया, हालांकि प्रचार बहुत हुआ । अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया—डा० अम्बेदकर ने संविधान में उन के हितों की रक्षा के लिए जो व्यवस्था की, जो सुरक्षा उन को दी गई, उस को भी उपेक्षा हुई । आज इस सदन में आयुक्त की जो रिपोर्ट विचाराधीन है—उस के आंकड़ों को देखने के बाद दुख होता है । उन का जो कोटा 18 प्रतिशत का था, और जनजातियों का जो कोटा 2 प्रतिशत का था, वह भी आज तक पूरा नहीं हुआ है । क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 किसी भी श्रेणी में उन का कोटा पूरा नहीं हुआ और इन पिछले 30 सालों में उन के लिए कुछ नहीं हुआ । अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत जो आयुक्त नियुक्त होता है, उस की रिपोर्ट आती है लेकिन पिछली सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । अब जनता पार्टी की सरकार ने वायदा किया है कि जो गरीब है, दुखी है, हरिजन है और पिछड़े हुए है उन के उत्थान का काम करेंगे और इन की गरीबी और बेरोजगारी को 10 साल में दूर करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इन 30 सालों के अन्दर हम ने इस समुदाय को और गरीब बनाया है और उपेक्षित बनाया है और पीड़ित किया है । संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है कि दस साल के

अंदर कम से कम 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा दी जाये। वह भी पिछली सरकार नहीं, कर पाई । सब से पहला काम सरकार को यह करना चाहिए था कि शिक्षा की दृष्टि से जितने भी हरिजनों के बच्चे हैं, उनको साक्षर बनाती। आजादी के बाद जो हरिजनों के बच्चे पैदा हुए हैं, वे अनपढ़ रह गए, अशिक्षित रह गए और इसी कारण उन का पिछड़ापन , उन की गरीबी परपीचुयेट होती जा रही है । संविधान में जो उस के निर्माताओं की आकांक्षा थी कि यह देश जाति-विहीन और वर्ग-विहीन हो जाए, वह न हो कर, वे लोग अशिक्षित रह गए, अनपढ़ बने रहे। इस तरह से इस समुदाय के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है ।

अब मैं आप के सामने थोड़े से आंकड़े देना चाहता हूं जोकि आयुक्त की रिपोर्ट में दिए हुए हैं और जिन से पता चलता है कि सर्विसेज में इनका कितना कोटा पूरा किया गया है। श्रेणी 1 में अनुसूचित जातियों का जो परसेन्टेज है, वह 3.34 है और जनजातियों का 0.55 है । श्रेणी 2 में अनुसूचित जातियों का 3.6 प्रतिशत है और जन-जातियों का 0.46 और श्रेणी 3 में अनुसूचित जातियों का 9.94 है और जन-जातियों का 1.64 है और श्रेणी 4 में 21.78 है। सिर्फ 4 में इन का कोटा पूरा हुआ है लेकिन क्लास 1, 2 और 3 की सर्विसेज में वह बहुत कम प्रतिनिधित्व है । इस से इनका जो मनोबल है, वह बहुत गिर गया है । जिस सर्विस में स्टेटस होता है ,यानी क्लास 1 सर्विस में, वहां पर 30 साल के अन्दर कुल 3 फीसदी ही इन का कोटा पूरा हुआ है । यह बहुत ही दुख की बात है। सब से ज्यादा अत्याचार, हत्या, डकैती और बलात्कार की घटनायें इन्हीं लोगों के साथ होती है जोकि बहुत तकलीफ देने वाली बात है । पिछली सरकार की जो नीति और बीयत रही है, वह इस बात से पता चल जाता है, कि 30 सालों के अन्दर भी सूटेबिलिटी और योग्यता के आधार पर कोटा पूरा नहीं किया गया। संविधान में यह है कि इन जातियों के शोषण को खत्म करने के लिए नौकरियों में इनके लिए कोटा रखा जाए, लेकिन वह भी पूरा नहीं किया गया। इस कोटे को पूरा करने के लिए मैं एक सुझाव यह दूंगा कि हरिजनों के जो लड़के एम० ए०, बी० ए ० और पी० एच० डी० आदि कर के विश्वविद्यालयों से निकलते है, उन सभी को क्लास 1 और क्लास 2 में ले लेना चाहिए और उस के बाद उन का कोई इम्तिहान नहीं लेना चाहिए । बार-बार उनका इम्तहान लिया जाता है और लोक सेवा आयोग द्वारा फिर से परीक्षा लेने के बाद उन को अनसूटेबिल और डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है । मैं जनता पार्टी की सरकार को यह सुझाव दूंगा कि इस कोटे को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों से शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के जो विद्यार्थी फर्स्ट और सकेन्ड डिविजन में निकलें, उन को बिना किसी दूसरी परीक्षा में भेजे सीधे सलेक्ट कर लिया जाए और उन के कोटे को पूरा किया जाए। इस तरह से इन का जो कोटा है वह क्लास 1 और क्लास 2 में पूरा किया जा सकता है । 5 और 10 वर्ष अगर हमारी जनता पार्टी की सरकार ऐसा करती है, तो हम यह देखेंगे कि आयुक्त की रिपोर्ट में जो यह बात आती है कि कोटा पूरा नहीं हो रहा है, वह बात नहीं आएगी ।

दूसरी जो सब से बड़ी समस्या इन गरीब हरिजन और जन-जातियों की है, वह भूमि की समस्या है । वे भूमिहीन और गरीब हैं। इसलिए सरकार को इस तरफ़ भी ध्यान देना चाहिए । आज से 30 साल पहले डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि प्रिवी पर्स बन्द किया जाए। इस देश में उस समय मान्यवर करीब 20, 25 बड़े राजा ऐसे थे जिन को प्रिवी पर्स यानी शाही थली दी जाती थी।

[श्री रूप नाथ सिंह यादव]

थोड़े से आंकड़े मैं सदन में पश करूंगा कि भारत सरकार ने राज महाराजाओं को अपार धनराशि प्रिवी पर्स के रूप में 20 साल दी है। मसूर के राजा को 26 लाख, हैदराबाद को 20 लाख, ट्रावन्कोर को 18 लाख, पटियाला को 17 लाख, बड़ौदा को 13 लाख 14 हजार रु० सालाना दिया। यह रकम 20 वर्ष की अवधि में 1 अरब 7 करोड़ 54 लाख रुपए हो गई, जो राजे महाराजाओं को दे दी गई। इस रुपये को अगर 20 वर्ष के अन्दर, जैसा कि डा० राम मनोहर लोहिया तथा अन्य नेताओं ने मांग की थी कि प्रिवी पर्स को खत्म करके इस धन को बचा कर के हरिजनों के उद्धार कार्य में लगा दिया जाता तो उनका बहुत भला हो सकता था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वैसा नहीं किया। प्रिवी पर्स खत्म किया 20 साल बाद। अगर इस 1 अरब 7 करोड़ और 54 लाख रु० को हरिजनों की बस्तियों पर खर्च किया जाता तो उनके पक्के मकान बनाये जा सकते थे, उनके बच्चों की पढ़ाई में सुधार हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

इसी तरह से एक और मिसाल है कि 30 साल के कांग्रेस शासन में वही लोग आगे बढ़े हैं जो धनी थे। जो अंग्रेजों के जमाने में कम धनी थे, लेकिन आजादी के बाद ज्यों ही कांग्रेस शासन में आयी उनका दृष्टिकोण हो गया कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों की मदद की जाये और इस तरह से उनकी ही मदद से शासन की बागडोर अपने हाथ में रह सकती है। कल लोक सभा में उत्तर में सरकार द्वारा बताया गया कि 1969 में टाटा बन्धुओं की हैसियत जो 505.58 करोड़ की थी वह 1974 में, जबकि 1971 में इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो 5 साल के अन्दर वह बढ़ कर 739.45 करोड़ हो गई। उसी तरह से बिड़ला बन्धुओं की जो ताकत 418 करोड़ थी वह 729 करोड़ हो गई। इस तरह से 20 उद्योगपतियों का पूरा ब्यौरा "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा है। सब बढ़ते चले गये। आपने 1971 में कहा था कि गरीबी हटाओ। लेकिन पूंजी बढ़ी बड़े घरानों की और गरीब और गरीब हुआ। एक तरफ 30 वर्ष और एक तरफ 3, 4 महीने। तो हमारी जनता पार्टी की सरकार 30 वर्ष के कूड़ा कचड़े को साफ करने में लग गई।

अब सवाल है कि इस देश में दरअसल गरीब मजदूरों का राज्य है 4, 5 महीने से। जनता पार्टी तमाम शोषित, पीड़ित गरीब मजदूरों की पार्टी है, इनके हितों की रक्षा के लिये हमने सरकार बनायी है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो मैनिफैस्टो हमारी पार्टी का है, उसके मुताबिक इन्सानी बस्तियों का निर्माण करा दिया जाये। यह नहीं होना चाहिये कि हरिजनों के लिये अलग, अलग कोई दक्षिण में गांव के मकान बना दिये जाते हैं। उनके लिये भी हमेशा एक ही बस्ती में अगल-बगल में ही पक्के मकान बनाये जायें, उनको इन्सानी बस्ती कहा जाये। ऐसा नहीं कि खाली हरिजनों के नाम पर बस्ती रखी जाये।

पिछले 30 वर्षों में हत्या, लूट, डकैता के जो अत्याचार हुए हैं वह अब इन 4 महीनों में, जब से हमारे होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी आये हैं, उनके कुशल प्रशासन मे तथा ईमानदार व्यक्तियों के शासन में आने के कारण आज हरिजनों पर होने वाले अत्याचार घटे हैं। अखबारों में झूठा प्रचार किया जाता है कि अत्याचार बढ़ गये हैं। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं, मैं इस राय का हूं, अगर उधर के माननीय सदस्य भी इसी तरह की राय रखें कि हरिजनों के साथ अत्याचार, डकैती, लूट आदि यदि हो तो उन मुलजिमों के साथ कठोर कदम

उठाये जायें और मीसा जैसा कानून बनाकर, उन पर मीसा लगा दिया जाये ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में एक सतिया कांड हुआ था । उस में एक लड़की की हत्या की गई । उसके साथ बलात्कार किया गया और हत्या हुई, लेकिन वह केस एकदम साफ हो गया । हरिजनों पर गांवों में जो अत्याचार होते हैं, उनका दमन करने के लिये हमारा और आपका सबका सहयोग जरूरी है और हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिये । मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह इस बारे में एक मीसा टाइप का कानून बना दें । जिस तरह से 30 साल में पहली बार वह लोकपाल बिल यहां लाये हैं, उसी तरह से इस बारे में भी एक कानून लायें कि हरिजनों पर अगर कोई 323 में भी मार-पीट करता है तो उसका चालान कर दिया जाये । देश में भेदभाव जो फैल गया है, इसको मिटाना बहुत जरूरी है । हमारे संविधान में कह दिया गया है कि इस देश में अनटचेबलिटी समाप्त हो गई, लेकिन वह अभी भी जिन्दा है, हर गांव में कुंए, पानी, खार आदि सब जगहों पर चल रही है । इसके बारे में कड़ा कानून बनना चाहिये कि ऐसा करने वालों को फौरन जेल भेज दिया जाये, इसमें कोई रियायत न हो । हिन्दुस्तान में सबसे पहले जातिविहीन और वर्गविहीन समाज हो, यहां सामाजिक क्रांति पहले आनी चाहिये । आर्थिक क्रांति में तो धन और समय लगेगा, लेकिन सामाजिक क्रांति के द्वारा हरिजनों को ऊंचा उठाना पड़ेगा ।

डा० अम्बेडकर ने पिछड़े वर्ग के लोगों को दो हिस्सों में कर दिया था । एक तो अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन-जातियां और दूसरा वर्ग उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों का बैकवर्ड क्लासेज का बना दिया । बैकवर्ड क्लासेज के बारे में 1953 में एक कमीशन बैठाया गया जो कि गांधी वादी काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में बना । ये आज भी जिन्दा हैं, बहुत ही विद्वान हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं। इन्होंने 1955 में ही रिपोर्ट दे दी, लेकिन 22 साल बीत जाने पर भी उनकी रिपोर्ट की सिफारिशों पर कोई अमल नहीं हुआ । न उनको नौकरियों में परसैंटेज मिला और न पढ़ाई आदि के लिये रिजर्वेशन हुआ । आर्टिकल 340(1) और 15(4) और 16(4) के मुताबिक रिपोर्ट में उनके रिजर्वेशन के लिये कहा गया है कि तकनीकी शिक्षा के लिये 70 फीसदी और नौकरियों के लिये 25 से 40 फीसदी तक रिजर्वेशन किया जाये । मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे । जनता पार्टी के मैनिफैस्टो में लिखा है कि कालेलकर साहब की रिपोर्ट लागू की जायेगी । इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो दोनों वर्ग हिन्दुस्तान में अपंग हैं, गरीब हैं, जब तक वह ऊपर नहीं उठते, यह राष्ट्र हमारा कमजोर रहेगा और राष्ट्र को प्राणवान बनाने के लिये यह जरूरी हैं कि 90 फीसदी आबादी का वर्ग उठे । लोकनायक जयप्रकाश जी की जो कल्पना है और महात्मा गांधी जी का जो स्वप्न है, वह साकार हो । हम एक समाजवादी व्यवस्था बनाकर ही राज करें ।

SHRI P.A. SANGMA (Tura) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Home Minister, while addressing the Tribal Commissioner's here at New Delhi on 15th of last month, had remarked that the tribal population in India had suffered the worst neglet. I would say that the tribals, the scheduled tribes have not only suffered the worst neglect but have also suffered the worst exploitation and the worst blow. I say this because after 30 years of planning, after 30 years of independence and after 30 years of so-called protection and safeguards to the tribals, the conditions of the tribals in India have gone from bad to worse. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : You please keep quite because he is making a

[Mr. Deputy Speaker]

maiden speech. Let me remind the Members that when a Member makes a maiden speech, he should not be interrupted.

SHRI P. A. SANGMA : That is more so in the case of people who are living in the north eastern region, and I would like to highlight some of the conditions that are prevailing there because the entire north-eastern region is a region which is inhabitated by the scheduled tribes.

As I said, after 30 years of independence, in the north-eastern region, as far as communications are concerned, except in the State of Assam and a few Kms. in the State of Nagalad, no other State in the north-eastern region has been connected with railways so far. There are places, a majority of the places, where for centuries past, there are no road communications. In the State of Arunachal Pradesh, Nagaland and in my own State, Meghalaya, people have to walk days together to reach the market in order to get their essential commodities.

Not to speak of railways, there is not a single industry which has been established in my own State. Today, the Minister of Industry has answered my USQ No. 6030. I had asked, "Will the Minister of Industry be pleased to state : (a) the number of large medium industries under public sector in Meghalaya and (b) whether Government are considering to set up any large/medium scale industries under public sector in Meghalaya this year." The answer to part (a) is 'none' and the answer to part (b) is 'there is no such proposal at present under consideraion of the Central Government. This is the state of affairs in our State.

The people who are living there are living under semi-starvation conditions. No serious attempt has been made to uplift those people and improve their conditions. I would like to lay stress more on education. They say that a lot of money has been spent on education, awarding pre-matriculate scholarship, post-matriculate scholarship, construction of hostels and what not. I would say that the money which has been claimed to have been spent is wasted in our State.

I would like to quote from the latest report of the Union Public Service Commission, the Twenty Sixth Report, where on page 28 it is said :

"The Commission were able to recommend candidates belonging to the Scheduled Castes against all the vacancies reserved for them at the examinations requiring general academic qualifications, like the Indian Administrative Service, etc. Examination, Indian Forest Service, Examination, Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination (Indian Economic Service only) and Assistants' Grade Examination. Except for the Indian Forest Service Examination, the performance of candidates belonging to the Scheduled Tribes was, however, not up to the mark even after applying the relaxed standard. Sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates did not come up even by the relaxed standards prescribed for them for examinations like the Engineering Services Examination, and Stenographers' Examination, which required technical and professional qualifications. The examination-wise details have been furnished in Appendix V-B."

The reason is this : Government has not tried, first of all, to improve the standard of schools in our State. Unless Government establishes, or encourages establishment of, good schools and good colleges, no student will come up to the standard. I would like to give my own example. When I was studying in L.P. School, I was taught by a school teacher whose educational qualification was only Class IV; he was running the school. When I studied in the middle school, there were three teachers and all of them were under-matriculates. I studied in a high school which was run for twelve years by one matriculate and one graduate. That is the condition of the schools in our State. This House can very well imagine as to what will be the state of affairs if an educational institution is run by unqualified and untrained teachers. How can the institution produce good citizens ? Even today we have got about 2,000 L.P. schools in our district where the schools are run by under-matriculates—the qualification of some is Class IV, the qualification of some is Class V; some are even Class II. And they are not getting their pay for five or six months altogether. The same is the condition of high schools and middle schools.

Everybody who goes to the high school is entitled to a pre-matriculate scholarship

I was given a pre-matriculate scholarship. Everybody gets the scholarship, but there is no school worth the name. What is the use of spending that money on the student ? It is a sheer wastage. Even with relaxed standards, our people, the Scheduled Tribes are not getting the reserved seats. That is because Government has not tried to establish good schools and colleges.

In the Report of the Home Ministry, so many things have been said—so many have been sent outside India, so many are given training, so many hostels have been constructed, so many this and tha have been done. But we do not find anything in our State—no hostel for boys or girls or anything of that sort. We have schools run by ourselves. In the entire district of Garo Hills, there is only one government high school ; in the entire district, there is only one college—which has been taken over by the Government a few years ago. Many institutions are run by the villagers themselves, with their own contributions.

After so much of fight about three, four years ago, a Central School which we call 'Kendriya Vidhalaya' was established in my home town. But whoever goes to the school is not entitled to scholarship. I do not know why. If one goes to a good school, one is not entitled to scholarship but if he goes to a school where there are no good teachers, no building, no blackboard, no benches etc. is entitled to scholarhsip! I do not know how we are running the country.

Therefore, I would earnestly appeal to the Government of today to give serious thought to the problem, review the whole situation and change the entire position. It is because there has been wrong planning and a wrong policy has been followed that we are still backward. So, I would repeat that the first and foremost thing to be done is to establish good institutions so that our people —the backward people, the tribal people —come up. There is no meaning in giving reservations if we cannot fill up the vacancies even with relaxed standards. If reservation is given it is all right, but if, instead of reservation, the Government tries to pull up these people and tries to raise their standard so that they can even compete with the other people, it would be better. We feel that, in the name of reservation, in the name of protection, in the name of this and in the name of that we people are being exploited. Therefore; Mr. Deputy Speaker, I would urge upon the Government to look into the whole situation once again and take appropriate steps, especially in matters of educational policy wnich I have referred to.

SHRI P.K. DEO (Kalahandi) : Sir, taking the opportunity of this debate, I would like to focus the attention of the House on the tribe called Bhattaras in Orissa. You will find that in Madhya Pradesh, they are called Bhataras, They inhabitate in the districts of Kalahandi, Bastar and Koraput in Orissa they are called Bhattadas. In the Scheduled Tribes list of Madhya Pradesh they are mentioned as Bhattaras and in the Orissa list they are pronounced as Bhattadas. This variation is due to the fact that this Koraput area used to be under the administration of the Madras Presidency and the officers could not pronounce the name properly. Because of this phonetic difference, the Bhattaras in the Kalahandi district have become the sufferers. More than once we had brought it to the notice of the Government that this anomaly should be removed because, according to the Sanskrit grammer the letters 'ra' and 'da' mean the same thing. Whether you call our State Orissa or Odissa it is the same. These tribes of the three districts have ethnic similarly, they have marriage alliances with each other, they worship the same diety Danteshwari and observe the same festival Chaitra Parva.

Shri K. Pradhani, a Scheduled Tibes M.P. who belonged to this tribe is from Koraput district. When we succeeded, after a good deal of effort in the Second Lok Sabha in getting this tribe included in the Tribal List, Mr. Jaganadha Rao who used to be elected from Korapet district had to switch over to another district. Taking all these facts into consideration, I think the anomaly should be removed, not by making a Constitutional amendment but by a simple executive order. As a matter of fact the Orissa Government has recommended, in its Lr. T&RW Deptt. No. 12866 dated 16th April 1976 that this anomaly should be removed and a clarification be issued so that the Bhattaras in Kalahandi district are not deprived of these constitutional benefits. There has been a Supreme Court decision in this regard. AIR 1971, page 2540, case : Bhaiya Ram *Vs* Anirudh. The Supreme Court has been pleased to observe and it is mentioned here :

"The decision clearly decides that the name by which a tribe or sub-tribe is known is not decisive. Even if the tribe of a person is different from the name included in the Order is suc

[Shri P. K. Deo]

by the President, it may be shown that the name included in the Order is a general name applicable to sub-tribe."

Taking into consideration all these factors, I most respectfully submit to the Home Minister—I think he is listening to me—that there should not be any discrimination in the case of the same tribe from district to district. This anomaly can be removed by an executive order. Dr. Sharma is already seized of this fact and I would request the Home Minister kindly to expedite the issuing of this clarification, so that the Bhattaras tribe in my district have the benefits due to them.

Whenever the House is seized of the problems of the scheduled castes and scheduled tribes, a big question mark automatically arises before us : What have we done about the Directive Principle 46 ? Most of the scheduled tribes are a vanishing species. Take the case of the Todas in Nilgries, Onges in Little Andaman, the Jarawas in Andamans and the Andamanis : they are ten in number. These Adnamanis were a material and a maritime race. In 1957, when the Britishers went there to establish their raj, they fought like anything. All this finds a place in the annals of Anadamans. They have to be preserved, but I am sorry to state that only ten of them are left at present. So are the Chenchus in Andhra Pradesh and the Bondas in Orissa. I most respectfully submit that this aspect has to be gone into.

Then, Sir, for how long is this reservation going to continue. There was a clear directive in the Constitution that it will continue for ten years; it should have ended in 1960, but now it has been extended till 1981. Instead of exclusion, there has been a continuous increase in the list of the scheduled tribes. There has been a scramble for the cake. If we include more, naturally the slice of the cake would become thinner. We aim at a classless and Casteless society and sooner we get rid of this, the better.

Though I appreciate the eloquence of some of the Neo Budhists that they should be included in the list of scheduled tribes, I would like to say that Bhudhism does not recognise caste system. Castes will be found in the Hindi religion only and if they have chosen to be Bhudhists, they should aspire for a classless and casteless society.

With these words, I conclude.

16.01 hrs.

MOTION RE: REPORT 1974 OF THE COMMISSION OF INQUIRY INTO THE DISAPPEARANCE OF NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we take up Mr. Samar Guha's motion.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I beg to move:

"That this House do consider the Report (1974) of the Commission of Inquiry into the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose laid on the Table of the House on the 3rd September, 1974."

After my speech, I will move another amendment also.

Before I begin to speak on the subject itself, I want to begin with a prayer to God so that God may arouse the conscience of the Members of this House as well as the conscience of our Home Minister so that the nation may not fail to discharge its duty to the greatest hero of our national liberation movement.

I have no doubt, as I know our Home Minister, Shri Charan Singhji who is a patriot and has a great admiration for Netaji, that he will not fail to do what for the lest 30 years we had failed to discharge our national obligation to our greatest hero.

When we were in jail last year, the British Government, after thirty years, have published top secret documents entitled 'The Transfer of Power' and in the sixth volume startling revelations have been made about Netaji. Perhaps we were all under the shadow of the emergency. That was the reason why the attention of the nation was not focussed to this crucial point. Otherwise, I have no doubt that on what has come out as some kind of a top secret revelation in this paper, the conscience of the nation would have exploded and there would have been a political upheaval in the country, that the greatest hero and revolutionary of India did not die in a plane crash and yet not once but twice the government declared him legally dead. I do not know if any other nation in the world would commit such a sin to such a great patriot.

This is what the British document has revealed. Page 137, vol. VI—Transfer of Power, 1942—1947. On 23rd August 1945 Sir R.F. Mudie, the then Home Member of the Viceroy's Executive Council writes to the private secretary to